



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 10.01.2026

1. थाना बिसरख पुलिस व लुटेरे बदमाश के साथ हुयी पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में-

विवरण—दिनांक 10.01.2026 को थाना बिसरख पुलिस के द्वारा सेक्टर 03 के पास ऐस सिटी गोल चक्कर से खैरपुर गोल चक्कर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चैकिंग की जा रही थी तो ऐस सिटी गोल चक्कर की तरफ से एक मोटर साइकिल पर सवार एक व्यक्ति सवार तेजी से आता हुआ दिखाई दिया जिसे पुलिस पार्टी के द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार नहीं रुका और तेजी से यू टर्न लेकर खैरपुर गोल चक्कर की तरफ भागने लगा तथा शक होने पर पुलिस बल द्वारा बदमाश का पीछा किया गया। अपने आप को घिरता देख बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में बदमाश घायल हो गया। जिसकी पहचान राहुल यादव पुत्र मुकेश सिंह निवासी ग्राम नगला सलेम थाना सहपऊ जिला हाथरस हालपता कौन्डली निर्माण मोहल्ला दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष के रूप में हुयी है। कब्जे से 01 तंमचा .315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर , 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक चोरी की बिना नम्बर प्लेट मोटर साइकिल स्प्लेण्डर बरामद हुई जो अभियुक्त के द्वारा मार्च 2025 में देशी शराब का ठेका ग्राम चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख से चोरी करना बताया है। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।

अपराध का तरीका-- अभियुक्त के द्वारा दिनांक 08.01.2026 को लॉ रेजीडेन्सिया सोसाइटी में लिफ्ट के पास एक वृद्ध महिला से चैन छीनने का प्रयास किया गया था जिसके सम्बन्ध में वादिया की तहरीर के आधार पर थाना बिसरख पर मु0अ0स0-0036/2026 धारा-304(2)/62 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-260/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0-0036/2026 धारा 304(2)/62 बीएनएस थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0-0016/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना सहपऊ जनपद हाथरस।